

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्तं,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-१०

विषय: वर्ष 2012 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु
अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि का राज्य आपदा मोबक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1168/आपदा-तेरह-2012-13, दिनांक-०४
मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में वर्ष
2012 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्निर्माण/पुनरस्थापना हेतु
विभिन्न विभागों के कार्यों/परियोजनाओं के लिए शासनादेश संख्या-2329/१-१०-
२०१२-१२(३३)/२०१२, दिनांक २७.०९.२०१२ द्वारा रु० ८,७३,४२,५००/-, शासनादेश
संख्या-2353/१-१०-२०१२-१२(३३)/२०१२, दिनांक १८.१०.२०१२ द्वारा रु०
३,०६,४८,५००/-, शासनादेश संख्या-2764/१-१०-२०१२-१२(३३)/२०१२, दिनांक ०३.१२.
२०१२ द्वारा रु० १,४७,०६,५००/- एवं शासनादेश संख्या-2663/१-१०-२०१२-
३३(१७२)/२०१२, दिनांक १८.१०.२०१२ द्वारा रु० १,०८,६०,०००/- अर्थात् मांगी
गयी/आंकित धनराशि के सापेक्ष ५० प्रतिशत धनराशि के रूप में कुल धनराशि रु०
१४,३५,५७,५००/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में लोक निर्माण
विभाग के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए द्वितीय किश्त के रूप में अपेक्षित धनराशि
अर्थात् निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान
वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवशेष कुल धनराशि रु० ९,२५,२४,०००/- (रुपये नौ करोड़
पच्चीस लाख चौबीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क०सं०	कार्यदायी संस्था/ विभाग का नाम	कार्य लागत	कार्यों की संख्या	कुल लागत (रु० में)	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (रु० में)	द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष अवमुक्त धनराशि(रु० में)
१	२	३	४	५	६	७
१	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	२.०० करोड़ से अधिक लागत	०१	२,१७,२०,०००	१,०८,६०,०००	१,०८,६०,०००

2	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	50 लाख से 2 करोड़ तक लागत	05	3,00,19,000	1,50,09,000	1,50,10,000
3	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	50 लाख लागत तक के कार्य योग	40	13,33,07,000	6,66,53,000	6,66,54,000
			46	18,50,46,000	9,25,22,000	9,25,24,000

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे ढाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना/ मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-78/पी०ए०स०आ००/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-छक्ड.1ए दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं० 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीढ़ी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समर्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं० 2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व

सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। उक्त कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी मात्रा/आकार के आधार पर वास्तविक लागत का धनावंटन किया जाय। सन्दर्भित कार्यों/परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का धनावंटन नहीं किया जायेगा।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : १०१५ (१) / १-१०-२०१३-१२(३३) / २०१२, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।

- 7— मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
- 8— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 9— समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11— गाड़ फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।